

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची—2013
जुलाई—2013

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(शिक्षा)16 / 11	देवघर (मोहनपुर) स्थित उत्कमित प्राथमिक विद्यालय पुराना चितकाठ के सचिव, अध्यक्ष एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर अनियमितता के संबंध में श्री दिनेश लाल का शिकायत ।	22.07.2013	परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवाद का निराकरण ग्रामीण स्तर पर ही कर लिया गया के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(शिक्षा)05 / 12	श्री तेजनरायण प्रसाद, शिक्षक, डुमरी, गिरिडीह का वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने के संबंध में शिकायत ।	16.07.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वेतन वृद्धि पर रोक विभागीय कार्रवाई के पश्चात लगाया गया है जिस पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(शिक्षा)06 / 11	श्री एस. डी. तिगा, जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग द्वारा नियमों का अहवेलना कर अपने रिश्तेदार भाई को पारा शिक्षक में चयन करने के संबंध में मो० अतिकुज्जमा, पगमिल, हजारीबाग का शिकायत ।	24.'07.2013	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(शिक्षा)20 / 2012	नव प्राथमिक विद्यालय, गोमिया, तेनुधाट-2 में पारा शिक्षक चयन में अनियमितता के संबंध में श्री कमल लोचन सिंह, तेनुधाट का शिकायत ।	24.07.2013	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतब्य के अनुसार उक्त विद्यालय में किसी भी पारा शिक्षक का चयन नहीं हुआ है। इस प्रकार अनियमितता का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
5.	02 / लोक(शिक्षा)20 / 11	श्री महावीर महथा, पूर्व सहायक शिक्षक, पेटरवार, बोकारो, के अर्जित अवकाश के समतुल्य वेतनादि निकासी एवं भुगतान के संबंध में	22.07.2013	जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा भविष्यनिधि कटौती विवरणी जमा नहीं करने के कारण उनके बकाया 19756/- का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके

				लिए परिवादी स्वंय दोषी है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया।
6.	01 / लोक(शिक्षा)17 / 11	लंगट बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जा गंज गिरिडीह की प्रधानाचार्य श्रीमति गिरिजा कुमारी सिंह पर अनियमितता के संबंध में ग्रामीण जनता मिर्जागंज का शिकायत।	26.07.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा इस रिपोर्ट पर अपना मंतब्य नहीं उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।
7.	01 / लोक(शिक्षा)18 / 12	मध्य विद्यालय, महेशलुण्डी, गिरिडीह में व्याप्त अनियमितता के संबंध में शिवनाथ साव का शिकायत।	25.07.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार मामले की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया तथा दोषी तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अतः उक्त जांच के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।
8.	02 / लोक(शिक्षा)02 / 12	अनौपचारिक शिक्षा परियोजना में मकान किराया के बकाया भुगतान के संबंध में श्री मनोज कुमार हजारीबाग का शिकायत।	31.07.2013	दिने तक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार बकाया का भुगतान हो जाने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया।
9.	02 / लोक(शिक्षा)21 / 12, शिकायत सं0 243 / 13, 234 / 13 एवं 168 / 13	राजकीकृत उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन के बावजूद नियुक्त नहीं करने के संबंध में सुरेश कुमार भारती, बोकारो, सुधाकर द्विवेदी, पलामू खुर्शीद अहमद, हल्दीपोखर, पूर्वी सिंहभूम एवं कवलदीप राम, पूर्वी सिंहभूम का शिकायत।	25.07.2013	निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अलग— अलग रिट याचिकाओं में अलग—अलग आदेश पारित किया गया है तथा विभाग को इन आदेशों के आलोक में नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। अतः विभाग ने L.P.A. सं. 210 / 2010 दाखिल किया है जो अभी लंबित है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।
10.	02 / लोक(शिक्षा)23 / 11	श्री गिरिजा प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त व्याख्याता, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवघर का द्वितीय ए० सी० पी० के वेतन निर्धारण नहीं करने के संबंध में शिकायत।	25.07.2013	उपसचिव मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पदोन्नित हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अधिसूचना सं 185 दिनांक 01.07.2009 जारी कर दिया गया है। यदि परिवादी फिर भी असंतुष्ट है तो माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। इसी आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।

11.	02 / लोक(शिक्षा)19 / 2012	बंध्याकरण के बाद एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति नहीं होने के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद चौरसिया, दुमका की शिकायत ।	23.07.2013	जिला शिक्षा अधीक्षक दुमका के प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके सेवानिवृति के सभी देय पावनाओं का भुगतान हो गया है तथा बंध्याकरण के बाद को विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया जिसको परिवादी के वकील द्वारा चाइलेंज किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त के अलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
-----	---------------------------	--	------------	---

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(सह0)06 / 12	श्री संजय कुमार सकारिता प्रसार पदाधिकारी, धनबाद, कार्यरत के 15 / 11 / 2000 के पूर्व के बकाया वेतन भुगतान नहीं किये जाने पर उनकी पत्नी श्रीमति प्रियंका जमुआर का शिकायत ।	23.07.2013	जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार उनके परिवाद का निराकरण हो जाने के बाद माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(न.वि.वि.)01 / 07	श्री विश्वनाथ ओझा सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक गिरिडीह नगरपालिका का सेवा निवृत्त लाभ एवं पेंशन का भुगतान करने के संबंध में आवेदन ।	25.07.2013	विशेश पदाधिकारी गिरिडीह नगरपालिका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो चुका के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(पथ)02 / 12	राश्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल हजारीबाग के अन्तर्गत बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्रीमति माया देवी, मतवारी, हजारीबाग का शिकायत।	02.07.2013	संबंधित विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार परिवारीनी के मांग को संदेहास्पद मान कर खारिज कर दिया गया है। अतः खारिज करने का आदेश वैद्य है अथवा नहीं इसका समाधान ज्ञारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के द्वारा संभव नहीं है तथा इसके लिए उन्हे अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है।
2.	02 / लोक(पथ)03 / 12	श्री प्रदीप कुमार रविदास कनिय अभियंता ग्रा.कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राँची के स्थानान्तरण में अनियमितता के संदर्भ में श्री उपेन्द्र कुमार राँची का शिकायत।	23.07.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवारी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01 / लोक(कार्मिक)01 / 12	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा श्री राजेश कुमार सम्प्रति अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की संकल्प सं. 7604 दिनांक 10.12.2010 को दण्ड दिये जाने के बाद भी निलंबन की अवधि की 2.75 लाख रुपये की अवैद्य निकासी के संबंध में श्री विजय कुमार राम, हिन्दपीढ़ी, राँची का परिवाद।	06.07.2013	प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कारण बताओं नोटिस के माध्यम उनका उत्तर मांगा गया जिसमें भूलवश निलंबन अवधि का पुरा वेतन निकासी की बात उक्त पदाधिकारी द्वारा कही गई है। विभाग द्वारा उनको चेतावनी दी गई की भविष्य में इस प्रकार की गलती न दुहरायें। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
2.	02 / लोक(कार्मिक)02 / 12	अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह से जाति और अवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में वर्ती गई अनियमितता के संबंध में।	29.07.2013	अंचलाधिकारी जमुआ गिरिडीह के द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में लिखित प्रतिवेदन दाखिल कर निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द करने की सूचना तथा परिवारी द्वारा भी अपना मंतव्य देने के बाद वाद को संचिकास्त कर दिया गया।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(राजस्व)11 / 08	मो० नसीरुद्दिन, सेवा निवृत् जनसेवक कटकमसांडी प्रखण्ड हजारीबाग को माह अप्रैल 1997 से अप्रैल 2001 तक कुल 49 माह का जीवनयापन भत्ता भुगतान के संबंध में ।	23.07.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के वाद का निराकरण हो गया । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(राजस्व)23 / 09	मौजा मूदा, धनसार, धनबाद का खाता सं. 36 प्लाट नं. 970 / 1164, 1165, 1166 एवं 1173 रकबा 4.70 डीसिमल के अतिकमण के संबंध में ।	22.07.2013	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी रद्द कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(राजस्व)04 / 09	श्री सुनिल कुमार डे, सेवानिवृत् राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय नाला का सेवा निवृत् का देय राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	22.07.2013	उपायुक्त जामताड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(राजस्व)16 / 2012	राज्य सरकार के स्वामित्व वाले गैरबाद जमीन –हीरापुर थानान्तर्गत थाना सं.-7 खाता सं० 136 प्लाट नं. 2178 के जमीन से अवैद्य अतिकमण हटाने के संबंध में, (जो ठीकेदार श्री दिनेश प्रधान एवं महेश प्रधान के कब्जे में हैं) श्रीमति प्रेमा झा हिरापुर का परिवाद ।	22.07.2013	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि का जमाबंदी रद्द कर दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा परिवादीनी द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति जताने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
5.	02 / लोक(राजस्व)23 / 12	जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने तथा रजिस्टर 2 फाड़ने के संबंध में श्री बैजनाथ प्रसाद रॉची का शिकायत ।	25.07.2013	अपर समाहरता रॉची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज वाद सं. 375 आर. 27 / 11-12 का निष्पादन दिनांक 06.05.2011 को, वाद को खरिज करते हुए कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

खनन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(खनन)02 / 12	खनन पट्टा का गलत नोटीस भेजने के संबंध में	24.07.2013	उप-निदेशक खनन विभाग संथाल परगना से प्राप्त जांच

		मोतीन मुर्मू महेशपुर, पाकुड़ का शिकायत ।		प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा अवैद्य खनन किये जाने के कारण सर्टाफिकेट केस के लिए नोटीस दिया गया है । अतः इस केस में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है के आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
--	--	--	--	---

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(स्वा०)02 / 09	डॉ० बिस्मिल्लाह खातुन सेवा निवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्दवा लातेहार को देय अव्यवहृत अवकाश के बदले राशि का भुगतान तथा ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में परिवाद ।	30.07.2013	उप सचिव स्वा० विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार उनके परिवाद का निराकरण हो गया । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(स्वा०)10 / 11	डॉ० आनन्द प्रसाद साह को सेवा निवृति के पश्चात संचित अव्यवहृत 300 दिन का अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान विभागीय स्तर पर अकारण लंबित रखने के संबंध में ।	25.07.2013	उप सचिव स्वा० विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार उनके परिवाद का निराकरण हो गया । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(विद्युत)01 / 06	श्री मुरारी प्रसाद सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गिरिडीह का उपादान की राशि काटकर भुगतान लंबित रखने के संबंध में ।	25.07.2013	सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, रॉची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

उत्पाद विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(उत्पाद)08 / 11	स्व० शहाबुद्दिन खाँ, सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद का बकाया का भुगतान करने के	25.07.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में सभी बकाया भुगतान हो

		संबंध में राबिया खातुन मानभूम, पुरुलिया का परिवाद ।		जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।
--	--	---	--	---

परिवहन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01 / लोक(परिवहन)01 / 11	जिला परिवहन कार्यालय लोहरदगा से निर्गत भारी वाहन का फर्जी लाईसेंस सं० 7324 / 2001 से संबंधित दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में श्री अमर कुमार सिंह, पटना से प्राप्त शिकायत ।	17.07.2013	माननीय लोकायुक्त के आदेशानुसार संबंधित आरोपित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन के पश्चात सजा का अनुमोदन कर दिया गया है। अतः परिवाद को उक्त के आलोक में बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(परिवहन)149 / 05	श्री दिगमबर झा सेवानिवृत्त चालक ग्राम—खडहरा बांका बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दुमका प्रमंडल, गोड्डा प्रतिष्ठान के सेवानिवृत्ति के पश्चात विभिन्न देय राशि के भुगतान के संबंध में ।	25.07.2013	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

पुलिस एवं गृह विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01 / लोक(गृह)04 / 12	श्री संजीव कुमार, हवलदार कलर्क का स्थानान्तरण चाईबासा से अन्यत्र हाने के बाद भी गृह रक्षकों से वसूली के मकसद से अपनी जगह में बने रहने के संबंध में श्री दिनेश कुमार गृह रक्षक का शिकायत ।	11.07.2013	कमांडेंट, गृह रक्षा वाहिनी झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित हवलदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किया जा चूका है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(पुलिस)32 / 12	पनवा देवी पति—हरि राम मोहली द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद, बाघमारा, धनबाद के पौत्र साहिल की हत्या करने एवं इनके जमीन घर पर कब्जा करने के संबंध में शिकायत ।	05.07.2013	पुलिस अधीक्षक, धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(पुलिस)26 / 12	गुलशन खातुन को दुसरी शादी करने पर विवश करने के संबंध में दर्ज केस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में शिकायत ।	11.07.2013	पुलिस अधीक्षक, देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

4.	02/लोक(पुलिस)33/12	देवघर कुण्डा थाना काण्ड सं0 90/12 के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में श्री लक्ष्मी यादव, देवघर का शिकायत ।	22.07.2013	पुलिस अधीक्षक, देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित काण्ड का अनुसंधान कर उचित कार्रवाई हेतु चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। उक्त जांच के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	02/लोक(पुलिस)34/12	परिवादीनी के पुत्र अहमद अंसारी के अपहरणकर्ता पर कार्रवाई नहीं करने एवं पुलिस द्वारा इनके पुत्र के खोजबीन में लापरवाही बरतने के संबंध में श्रीमति रैबुन बीबी, देवघर का शिकायत ।	22.07.2013	पुलिस अधीक्षक, देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के केस में काण्ड सं. 11/11 एवं 51/11 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त के आलोक में परिवाद का माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	02/लोक(पुलिस)12/11	चकधारी पाण्डा द्वारा सिटु लोहरा का खेत एवं धान कब्जा करने तथा जात-पात का गाली-गलौज करने के संबंध में श्री सिटु लोहरा, गुमला का शिकायत ।	17.07.2013	सहायक अवर निरीक्षक सिसई, से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण करा दिया गया। उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
7.	01/लोक(गृह) 01/11	गिरिडीह जिला कारा में कारा अधीक्षक श्री अशोक कुमार चौधरी प्रभारी जेलर श्री विपिन बिहारी मंडल एवं सहयोगियों द्वारा घोर अमानवीय कूर एवं नियम विरुद्ध व्यवहार किये जाने के संबंध में श्री विधु भूषण द्विवेदी का शिकायत ।	25.07.2013	जेल अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया तथा परिवादी द्वारा अन्य कई प्राधिकारों में भी वाद दाखिल किया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
8.	01/लोक(गृह)02/2012	झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय देवघर में मनमानी एवं गलत नियम कानून बनाकर डियूटी पर प्रतिनियुक्त एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा सविधान के विरुद्ध कार्य करने के संबंध में श्री मनोज कुमार दास का अपिल पत्र ।	29.07.2013	परिवादी के परिवाद सुनवाई के लिए उचित प्रतीत नहीं होने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
9.	02/लोक(पुलिस)02/12	रामे मुर्म के चौकीदार के पद पर पूर्व बहाली को बरकरार रखने तथा वेतन भुगतान करने के संबंध में	28.07.2013	उपायुक्त जामताड़ा के जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी द्वारा पूर्व में दायर वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सचिकास्त करने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
10.	02/लोक(पुलिस)35/12	बिल्डर द्वारा जमीन कब्जा करने पर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मोटी रकम लेकर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री संजीव कुमार दास का परिवाद ।	28.07.2013	पुलिस अधीक्षक बोकारो के जांच प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा असहमति जताया गया है। यदि परिवादी को जांच मान्य नहीं है तो उन्हे अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा इसका लाभ लेना चाहिए। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं.	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(कृषि)12 / 11	श्री रामेश्वर प्रसाद सेवा निवृत भूमि संरक्षण पदाधिकारी, तोपचाँची, धनबाद का ग्रेच्यूटि, उपार्जित अवकाश एवं अन्य भुगतान प्राप्त नहीं होने के संबंध में शिकायत ।	31.07.2013	निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(कृषि)14 / 11	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री लक्ष्मण त्रिपाठी से प्राप्त शिकायत ।	24.07.2013	परिवादी द्वारा इसी वाद से संबंधित रिट याचिका सं0 158 / 2013 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया तथा परिवादी द्वारा केस को उठाने के लिए माननीय लोकायुक्त से प्रार्थना किया गया है जिसे माननीय द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद को खारिज कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(कृषि)11 / 11	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री दिनानाथ पाण्डेय, सेवानिवृत भूमि संरक्षण पदाधिकारी , भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची से प्राप्त शिकायत ।	23.07.2013	निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया परन्तु परिवादी द्वारा विभाग को सहयोग नहीं करने के कारण भविष्यनिधि का भुगतान नहीं किया गया है । माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवादी को निर्देश देते हुए कि वह विभाग को सहयोग करे के साथ संचिकास्त कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(कृषि)10 / 12	डॉ० आर. सी. पी. सिंह सेवानिवृत प्राध्यापक पशु चिकित्सा महाविद्यालय राँची, BAU के छठा वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन भुगतान के संबंध में ।	24.07.2013	कुलपति विरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पेशन का निर्धारण कर मई 2012 से भुगतान किया जा रहा है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	02 / लोक(कृषि)09 / 11	सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ भूमि संरक्षण निदेशालय झारखण्ड राँची द्वारा नहीं मिलने पर श्री कुलदीप राउत के शिकायत ।	23.07.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार उनके बकाया वेतन का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया है के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
6.	02 / लोक(कृषि)07 / 12	नेपाल चन्द्र मल्लिक सेवानिवृत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी गम्हरिया, जिला सराय केला—खरसांवा	22.07.2013	परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार उनके बकाया वेतन का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया

		का तीन माह का बकाया वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में ।		गया है के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
7.	02 / लोक(कृषि)03 / 12	कृषि विभाग के अन्तर्गत बरती जा रही घोर अनियमितता, भ्रश्टाचार, स्वेच्छाचारिता एवं मनमाने ढंग से किये जा रहे कार्यों पर ध्यानाकृष्ट कराने के संबंध में श्री रंजित कुमार राय, शुक्ला कालौनी, हिनू राँची का शिकायत ।	16.07.2013	उप सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखण्ड सरकार राँची से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

वित्त विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(वित्त)01 / 12	सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अवधि से दो वर्ष पूर्व ही जबरन सेवानिवृत्ति कराये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश ठाकुर से प्राप्त शिकायत ।	05.07.2013	उपायुक्त पाकुड़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी की सेवानिवृत्त वित्त विभाग के पत्रांक 51 / एफ. दिनांक 08.01.2010 के अनुसार 58 साल पुरा करने के पश्चात किया गया । अतः उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

सामाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(सा. कल्याण)05 / 12	ग्राम महुआ टोली, डिम्बा लापुंग में सेविका चयन में अनियमितता के संबंध में श्रीमती ननवती देवी लापुंग का शिकायत ।	11.07.2013	माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध यथोचिक कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है । उक्त के आलोक में वाद को संचिकास्त करदिया गया ।
2.	02 / लोक(कल्याण)11 / 2011	श्री जयप्रकाश नारायण वर्तमान अवैद्य प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, कौआखोह पलामू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अन्य उचित कार्रवाई करने के संबंध में श्री देवनंदन रजक, वर्तमान कार्यकारी प्रधानाध्यापक का शिकायत ।	25.07.2013	सचिव, कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद एक लोक सेवक के विरुद्ध दुसरे लोक सेवक द्वारा किया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

--	--	--	--

ग्रामिण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.)10 / 12	सेवान्त लाभ नहीं मिलने पर श्री दीपक कुमार, हजारीबाग से प्राप्त शिकायत	05.07.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान हो जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.)18 / 12	इंदिरा आवास की राशि का गबन किये जाने के संबंध में श्री संतोष कुमार मिश्रा, देवरी , गिरिडीह से प्राप्त शिकायत ।	23.07.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को इंदिरा आवास योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.)08 / 13	विभाग द्वारा किराये पर ली गई मकान के किराये की बकाया राशि के भुतान के संबंध में श्री रंजित कुमार परिवार का परिवाद ।	22.07.2013	विशेष सचिव ग्रामिण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा बकाया राशि के भुगतान की पुष्टी के बाद परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.)13 / 12	सरायकेला खरसाँवा जिला में वृद्धा पेंशन एवं मनरेगा योजना में गड़बड़ी के संबंध में मो० अखतर हुसैन से प्राप्त शिकायत ।	17.07.2013	परिवादी द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में झूठा केस दायर करने की पुष्टी दो गवाहों द्वारा हो जाने के कारण परिवाद को बंद कर दिया गया ।
5.	01 / लोक(ग्रा.वि.वि.)07 / 11	श्री मृणाल कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल बोकारो द्वारा जालसाजी कर एवं अवैद्य तरिके से धनार्जन करने के संबंध में श्री सिद्धान्त झा, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो का शिकायत ।	17.07.2013	माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 09.07.2013 को पारित आदेश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दोषी लोक सेवक के विरुद्ध एफ.आइ.आर दर्ज करा दिया गया है तथा विभागीय कार्रवाही का संचालन किया जा रहा है । अतः वाद में अग्रतर किसी प्रकार की कार्यवाई की आवश्यकता नहीं है तथा वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया । ।

विविध विभाग

क्रम	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त	अंतिम आदेश
------	---------------	------	-----------	------------

सं०			की तिथि	
1.	02 / लोक(विविध)09 / 12	पूर्णकालिक निलामपत्र पदाधिकारी दुमका श्री रंजित कुमार साह द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में श्री अमित कुमार जयसवाल का शिकायत ।	24.07.2013	उपायुक्त दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार वाद का निराकरण हो गया परन्तु रिश्वत मांगने वाद के लिए परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(विविध)07 / 12	बैंक ऑफ इन्डिया सहित विभिन्न बैंकों के द्वारा “केसीसी” में की जा रही गबन में जांच के उपरान्त कानूनी कार्रवाई के संबंध में श्री शिव कुमार साहु, रातु, राँची का परिवाद ।	24.07.2013	सचिव, सांस्थिक वित्त विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर संबंधित बैंक के प्रबंधकों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(विविध)10 / 12	सरकारी एम्बुलेंस व सामुदायिक भवन के नाम पर पुरे राज्य में हो रही करोड़ों के लूट-मार के संबंध में श्री मनोज मिश्रा, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य ह्यूमन राईट्स कॉन्फ्रेंस का शिकायत ।	23.07.2013	उपायुक्त जमशेदपुर से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी एम्बुलेंस व सामुदायिक भवन के उपयोग में किसी प्रकार के गड़बड़ी नहीं पाये जाने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को बंद कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(विविध)16 / 12	श्री बृज बिहारी ओझा राँची द्वारा जांच के नाम पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भयादोहन करने एवं मोटी रकम वसूलने के संबंध में श्री मुकेश उराँव कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, कटहल मोड़ राँची का शिकायत ।	31.07.2013	मंत्रीमंडल निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

शिकायत

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 131 / 13	भविष्य निधि लेखा सं० PTS/1RR.4157 में जमा राशि की अंतिम निकासी के संबंध में श्री ब्रजनंदन प्रसाद, बाकी पुर पटना का शिकायत ।	16.07.2013	परिवादी के प्राधिकार पत्र की त्रुटि का निरकरण संबंधित विभाग द्वारा दो माह विलंब से कर दिया गया । अतः शिकायतपत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा निरस्त करते हुए बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं० 166 / 13	पति के अस्वभाविक मृत्यु को पुलिस द्वारा आत्महत्या करार दये जाने के संबंध में मोसमात मालती देवी का शिकायत ।	05.07.2013	परिवादीनी द्वारा पुर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं- W.P.(Cr) No. 112/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद पर विचार करते हुए समुचित आदेश पारित किया जा चुका है । उक्त के

				आलोक में शिकायतवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं0 312 / 13	विपक्षी पार्टी के दबाव में गलत निर्णय देने के संबंध में मेजर विनय दूबे, गोमिया , बोकारो का शिकायत ।	16.07.2013	उक्त वाद से संबंधित कई केस विभिन्न न्यायालयों में लंबित है अतः उक्त के आलोक में परिवद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । यदि वादी को विपक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार का शिकायत है तो वह न्यायालय का रुख करे जहां केस लंबित है । इस आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 185 / 13	मैकलुस्कीगंज, खाता सं. 9 / 9 प्लाट नं. 54 के रकबा 8.40 से संबंधित जमीन के रजिस्टर II में छेड़—छाड़ करने के संबंध में आरजो देवी राँची का शिकायत ।	05.07.2013	परिवादीनी द्वारा पूर्व में इसी वाद से संबंधित शिकायत सं. 633 / 2012 दायर किया गया था जो दिनांक 05.10. 2012 को संचिकास्त किया जा चुका है । अतः एक ही वाद पर दुबारा शिकायतदर्ज करना झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 273 / 13	अतिक्रमण हटाने के संबंध में श्री संदीप कुमार पाण्डेय, पलामू का शिकायत ।	22.07.2013	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 492 / 12	आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्रक्षेत्र के पदाधिकारी एकरामुल हक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत ।	22.07.2013	परिवादी के प्राधिकार पत्र की त्रुटि का निरकरण संबंधित विभाग द्वारा दो माह विलंब से कर दिया गया । अतः शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा निरस्त करते हुए बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 324 / 13	स्व0 रामपति राम (कर्मचारी FCI गढ़वा) के आश्रितों को पेंशन बीमा राशि तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सावित्री देवी पति स्व0 रमपति राम का शिकायत ।	23.07.2013	शिकायत भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता । अतः शिकायत पत्र को भारतीय खाद्य निगम राँची को प्रेषित करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 171 / 13	गुमला थाना काण्ड सं. 103 / 95 झारखण्ड उच्च न्यायालय, कि. अ. सं. 1087 / 2004 में श्री अशोक कुमार सिंह के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में श्री महेन्द्र उराँव गुमला का शिकायत ।	11.07.2013	शिकायत झारखण्ड राज्य मानवाधिकार संगठन के समक्ष लंबित है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
9.	शिकायत सं. 271 / 13	JPSC द्वारा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उप समाहरता	22.07.2013	JPSC के विरुद्ध शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त

		सिमित प्रतियोगिता परीक्ष में उत्तीर्ण निःशक्त अभ्यर्थियों को अनुशंसा न करने के परिणाम स्वरूप, निःशक्त के 03 पद को भरने के संबंध में श्री दिनेश्वर सिंह लातेहार का शिकायत।		अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायतको माननीय लोकायुक्त के द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
10.	शिकायत सं. 194 / 13	एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्थानों से अलग—अलग दो पहचानपत्र बनवाने के संबंध में श्री राजेन्द्र उर्साँव लोहरदगा का शिकायत।	17.07.2013	शिकायतकर्ता का शिकायतवोटर लिस्ट में गलत नाम दर्ज करने के संबंध में है जिसके संबंध में परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ राज्य निर्वाचन आयोग के उपलब्ध है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
11.	शिकायत सं. 331 / 13	परिवादीनी श्रीमति प्रतिभा कुमारी, काठीकुण्ड, दुमका को बदचलन माँ एवं अपराधिक पति से छुटकारा दिलाने के संबंध में शिकायत।	23.07.2013	शिकायतदो लोगों का निजी मामला से संबंधित है तथा किसी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायतनहीं है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
12.	शिकायत सं. 337 / 13	व्यवहार न्यायालय खूँटी में पदस्थापित विभिन्न कोटी के कर्मियों द्वारा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री मानकी डोमन सिंह, सोनाहातु, राँची का शिकायत।	24.07.2013	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
13.	शिकायत सं. 300 / 13	श्री कामेश्वर कुमार, अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, पाकुड़ को प्रोन्नति नहीं मिलने के संबंध में।	23.07.2013	प्रोन्नति से संबंधित मामले लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं। अतः प्रकायतवाद को खारिज करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।
14.	शिकायत सं. 349 / 13	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ केन्द्रीय कार्यालय जय प्रकाश नगर धनबाद को मान्यता देने के संबंध में श्री सुरेन्द्र राय एरिया सचिव का शिकायत।	30.07.2013	यह शिकायतदो राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघों बीच मान्यता को लेकर है जिसके माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कई रिट दाखिल किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वाराउचित आदेश भी परित किया जा चुका है। उक्त के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायतको खारिज कर दिया गया।
15.	शिकायत सं. 195 / 13	BCCL कर्मी अखिलेश कुमार श्रमिक नगर धनबाद की पत्नी श्रीमति रेणु देवी का BCCL अस्पताल धनबाद के डॉ० होटा द्वारा गर्भाशय के शल्य चिकित्सा में लापरवाही बरतने के संबंध में शिकायत।	25.07.2013	BCCL झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया।
16.	शिकायत सं. 233 / 13	गुजारा भत्ता दिलाने के संबंध में श्रीमति मंजु देवी,	17.07.2013	माननीय न्यायालय द्वारा केस सं. 32 / 2011 में समुचित

		गुमला का शिकायत।		आदेश पारित किया जा चुका है यदि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो परिवादीनी को सक्षम न्यायालय में मामले के निराकरण हेतु पहल करना चाहिए।
17.	शिकायत सं. 264 / 13	पिता के मृत्यु उपरान्त सेवान्त लाभ का भुगतान कराने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार बोकारो का शिकायत।	22.07.2013	परिवादी चौंकि पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रॉची में रिट याचिका दायर कर दिया है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। इस प्रकार माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को खारिज करते हुए संचिकास्त कर दिया गया।
18.	शिकायत सं. 211 / 13	नेत्रहिनता के अधार पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं मिलने के संबंध में।	17.07.2013	यह शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायतपत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
19.	शिकायत सं. 230 / 13	श्री अभय शंकर एवं श्री सुधांशु शेखर तत्कालीन एवं वर्तमान जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप से संबंधित श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, देवघर का शिक्यत।	17.07.2013	शिकायतपत्र एक साथ कई संस्थाओं को प्रेषित किया गया है जिस कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया।
20.	शिकायत सं. 261 / 13	श्री शेषनाथ सिंह प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विश्रामपुर पलामू का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में श्रीमति चंचला सिंह सरायडेला, धनबाद का शिकायत।	22.07.2013	परिवादीनी का पति स्वयं एक लोक सेवक है अतः इस दशा में शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
21.	शिकायत सं. 327 / 13	धनवार थाना जिला गिरिडीह थाना काण्ड सं. 190 / 12 के अभ्युक्त कृष्ण देव रजक को गिरफ्तार कर छोड़ देने के संबंध में श्रीमति चौरासी देवी पति मनोज रजक एवं अन्य का शिकायत।	28.07.2013	अभ्युक्त के विरुद्ध सनहा सं. 190 / 12 दर्ज कर जांच की जा रही है। अतः जांच में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
22.	शिकायत सं. 328 / 13	श्री चन्द्रमणि भारती थाना प्रभारी बेड़ो थाना रॉची द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न्यायिक आदेश का अहवेलना करने के संबंध में श्री चारों उराँव का शिकायत।	28.07.2013	परिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज वाद पर समुचित आदेश पारित कर दिया गया है। यदि पारित आदेश की पालन नहीं हो रहा है तो उन्हें अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।
23.	शिकायत सं. 307 / 13	जमीन जबरदस्ती दखल करने के संबंध में श्री पुरन मुसहर बोरियो साहेबगंज का शिकायत।	25.07.2013	शिकायत किसी लोकसेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया

				गया ।
24.	शिकायत सं. 126 / 13	जमीन पर दखल—कब्जा नहीं दिलाने के संबंध में श्री दिनेश राम भंडरा, लोहरदगा का शिकायत।	28.07.2013	शिकायतपत्र एक साथ कई संस्थाओं को प्रेषित किया गया है जिस कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायतको खारिज कर दिया गया।
25.	शिकायत सं.172 / 13	गिरी थाना हजारीबाग के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा रिश्वतखोरी करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का शिकायत छद्मनामी शिकायत।	24.07.2013	शिकायत छद्मनामी रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया।
26.	शिकायत सं.338 / 13	विद्युत संबंध देने में पक्षपात करने एवं सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मो0 जकिउर रहमान, राँची का शिकायत।	30.07.2013	परिवाद सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जिसका उपचार उक्त अधिनियम में वर्तमान है। इस प्रकार परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।
27.	शिकायत सं. 282 / 13	दहेज के झूठे मुकदमा में फसाने के संबंध में श्री रमेश कर्मकार देवघर का शिकायत।	24.07.2013	शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में इसी वाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन में भी शिकायत किया गया है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
28.	शिकायत सं. 216 / 13	अवैद्य तरिके से तालाब निर्माण किये जाने के संबंध में श्री बबलू पंडित, मधुपुर, देवघर का शिकायत।	11.07.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया।
29.	शिकायत सं. 303 / 13	साहेबगंज जिला अन्तर्गत बोरियो प्रखण्ड में मनरेगा योजना में करोड़ो रुपये का गवन के संबंध में श्री मुरलीधर तिवारी, साहेबगंज का शिकायत।	16.07.2013	माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को मनरेगा लोकपाल दुमका को प्रेषित करते हुए बंद कर दिया गया।
30.	शिकायत सं. 291 / 13	गुमला जिलान्तर्गत रायडीह, प्रखण्ड के कूप निर्माण योजना सं. 30/2010–11 में अंतिम भुगतान के संबंध में श्री सुखराम खड़िया, रायडीह गुमला का शिकायत।	16.07.2013	माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को मनरेगा लोकपाल पश्चिमी सिहभूम को प्रेषित करते हुए बंद कर दिया गया।
31.	शिकायत सं. 305 / 13	मनरेगा योजना अन्तर्गत तालाब तथा कूप निर्माण की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में हिरो महतो बड़कागांव, हजारीबाग का शिकायत।	16.07.2013	सरकार द्वारा मनरेगा लोकपाल का गठन कर दिया गया है तथा यह कार्यरत है। माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को मनरेगा लोकपाल हजारीबाग को प्रेषित करते हुए बंद कर दिया गया।
32.	शिकायत सं. 251 / 13	सहायक खनन पदाधिकारी पाकुड द्वारा निलाम पत्र वादसं. 97–98 में झूठा फसाये जाने तथा उक्त	22.07.2013	परिवाद चूंकि सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है अतः यह परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के

		संदर्भ में निलाम पत्र पदाधिकारी खनन उप-निदेशक दुमका द्वारा बिना नोटिस निर्गत किये हुए वारन्ट निर्गत करने के संबंध में श्री मंगल देहरी, महेशपुर पाकुड़ का शिकायत।		अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।
33.	शिकायत सं.501/12	श्री बलदेव राज उप विकास आयुक्त बोकारो के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में गुमनाम (बोकारो) से प्राप्त शिकायत।	22.07.2013	उप निबंधक हजारीबाग तथा कोडरमा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री बलदेव राज उप विकास आयुक्त बोकारो के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया।
34.	शिकायत सं 132/13	झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री विकास कुमार सिंह उपाध्यक्ष FJCCI रॉची का शिकायत।	31.07.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया।